कार्यालय जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, आजमगढ़।

प्रशासनिक आदेश संख्या 276/2024

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक 7356/मेन(पी) एडमिन०(ए-3) इलाहाबाद दिनांकित 31.05.2019 के द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के जनपद आजमगढ़ सहित कुल 35 जनपदों में प्रत्येक वर्ष माह मई व जून में न्यायालय की समयावधि प्रातःकाल 07.00 बजे से 1.00 बजे तक किये जाने हेतु आदेशित किया गया है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के उपरोक्त पत्र के अनुपालन में जनपद न्यायालय, आजमगढ़ में माह मई व जून 2024 (दिनांक 01.05.2024 से 30.06.2024 तक) न्यायालय का समय प्रातःकाल 07.00 बजे से अपरान्ह 01.00 बजे तक निर्धारित किया जाता है। जनपद न्यायालय, आजमगढ़ के न्यायालय प्रातःकाल 07.00 बजे से अपरान्ह 01.00 बजे तक कार्य सम्पादित करेंगे। इस मध्य प्रातः 10.30 बजे से 11.00 बजे तक भोजनावकाश (लन्च) होगा। सभी कार्यालय का समय प्रातःकाल 06.30 बजे से अपरान्ह 01.30 बजे तक रहेगा।

समस्त सम्बन्धित को सूचित किया जाय। आदेश को समस्त न्यायिक आधिकारीगण एवं कर्मचारीगण के मध्य परिचालित किया जाय एवं इसकी एक प्रति जनपद न्यायालय, आजमगढ़ के सूचना पट्ट पर चस्पा किया जाय।

(संजीव शुक्ला)
जनपद न्यायाधीश
आजमगढ़।

दिनांकितः अप्रैल 19, 2024

संख्याः 713 /प्रथम **दिनांकः अप्रैल 19 , 2024**

आदेश की प्रति, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. माननीय महानिबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
02. जिलाधिकारी, आजमगढ़।
03. पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़।
04. नोडल आफिसर कम्प्यूटर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की उपरोक्त आदेश को जनपद न्यायालय, आजमगढ़ की वेबसाईट पर अपलोड कराने की कृपा करें।
05. जिला सूचना अधिकारी, आजमगढ़ को प्रमुख समाचार पत्रों में नि:शुल्क प्रकाशनार्थ।
06. संयुक्त निदेशक अभियोजन, आजमगढ़।
07. मुख्य चिकित्साधिकारी, आजमगढ़।
08. वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, आजमगढ़।
09. अध्यक्ष/मंत्री, दीवानी न्यायालय अभिभाषक संघ, आजमगढ़।

प्रभारी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
जनपद न्यायालय आजमगढ़।